निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 आश्विन 1939 (श0)
(सं0 पटना 931) पटना, बुधवार, 11 अक्तूबर 2017

गन्ना उद्योग विभाग

आदेश
20 सितम्बर 2017

सं० वि०उ०–02–09/11–1585––राज्य की चीनी मिलों के लिए पेराई सत्र 2014–15 से 2016–17 के लिए अपराम्परागत रूप में आरक्षित किये गये ग्रामों के आरक्षण की अवधि समाप्त हो चुकी है। उपरोक्त आलोक में ऐसे ग्रामों का आगे के वर्षो के लिए आरक्षण, प्रवृत्त आरक्षण के किसी अंश में आवश्यक सुधार एवं मुक्त क्षेत्रों के आरक्षण के उद्देश्य से विभागीय पत्र संख्या–1300 दिनांक–28.07.2017 के माध्यम से राज्य की चीनी मिलों से आगे के वर्षो के लिए आरक्षण प्रस्ताव की माँग की गयी थी। तद्आलोक में बिहार ईख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम–1981 की धारा–31(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जितेन्द्र कुमार सिंह, ईखायुक्त, बिहार, पटना द्वारा मेसर्स **तिरूपति सुगर्स मिल्स लि०, बगहा**, प० चम्पारण से प्राप्त प्रस्ताव की सभी चीनी मिलों के प्रतिनिधियों, क्षेत्रीय ईख पदाधिकारियों, विभागीय पदाधिकारियो एवं अन्य संबंधितों के समक्ष दिनांक 18.09.2017 को पूर्वाह्न 11:45 बजे सुनवाई की गयी।

विभागीय आदेश ज्ञापांक–2305 दिनांक 24.09.2015 के माध्यम से इस चीनी मिल को पराम्परागत रूप से पेराई सत्र 2015–16 से 2019–20 के लिए आरक्षित 295 ग्रामों के आरक्षण का भी अवलोकन किया गया। विभागीय आदेश ज्ञापांक–2154 दिनांक–24.09.2014 के माध्यम से भितहाँ अंचल के 4 ग्राम एवं मधुबनी अंचल के 3 ग्राम कुल 7 मुक्त किये गये ग्रामों से इस मिल को क्रय केन्द्र स्थापित कर गन्ना क्रय करने से संबंधित आदेश पत्र का भी अवलोकन किया गया।

अपने क्षेत्र आरक्षण के प्रस्ताव के सन्दर्भ में मेसर्स तिरूपति सुगर्स मिल्स लि०, बगहा, प० चम्पारण के महाप्रबंधक श्री एस॰ एन॰ पी॰ सिन्हा द्वारा बताया गया कि उनके प्रबंधन द्वारा 2008 में बगहा मिल के प्रबंधन को लिया गया। उस समय यह मिल 2500 TCD की एक रूग्न मिल थी। उसके पश्चात् इस मिल में कम्पनी द्वारा लगभग 350 करोड़ रूपया निवेश किया गया है, फलस्वरूप आज इस मिल की पेराई क्षमता 8000 TCD है। लगभग 300 करोड़ रूपये का अतिरिक्त निवेश करते हुए एवं तीन वर्षो के अन्दर मिल की पेराई क्षमता को 15000 TCD तक वृद्धि करने की प्रबंधन की कार्ययोजना है। पेराई क्षमता में तीन गुणा से ज्यादा वृद्धि होने के उपरान्त भी इस मिल के आरक्षित क्षेत्र को निरंतर घटाया गया है। पहले 302 ग्राम आरक्षित थे, वर्त्तमान् में 295 ग्राम आरक्षित हैं जिसमें मात्र 244 रेभेन्यू ग्राम हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके चीनी मिल के लिए गैर पराम्परागत् क्षेत्र में एक भी ग्राम आरक्षित नहीं है।

श्री सिन्हा द्वारा बताया गया कि पेराई सत्र 2017–18 के लिए उनका NCR 98.59 लाख क्विंटल निर्धारित किया गया है। उनके आरक्षित क्षेत्र में 60258.82 एकड़ में गन्ने की खेती हुई है, जिसमें अनुमानित 140 क्विंटल/एकड़ की दर से 84.36 लाख क्विंटल गन्ना मात्र ही पेराई हेतु उपलब्ध होना संभावित है। NCR के अनुरूप गन्ने की पेराई हेतु उनकी चीनी मिल को अतिरिक्त 14.23 लाख क्विंटल गन्ने की आवश्यकता है।

उन्होंने बताया कि गत् पेराई सत्र 2016–17 में उनके आरक्षित क्षेत्र से औसतन 146.54 क्विंटल/एकड़ के दर गन्ने की आपूर्ति हुई है। मिल के आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु यह आवश्यक है कि उनके आरक्षित क्षेत्र का विस्तार हो जिससे की बढ़े हुए क्षेत्र के माध्यम से मिल के गन्ने की आवश्यकता की पूर्ति हो सके।

उन्होंने बताया कि ऑकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि पड़ोस की चीनी मिलों के लिए पूर्व से ही काफी बड़ा परम्परागत् क्षेत्र गठित होता आ रहा है। ऐसी स्थिति में वर्त्तमान् में अपराम्परागत् क्षेत्र में उनके चीनी मिल को उचित हिंस्सेदारी मिलनी चाहिए एवं उस आलोक में उनके द्वारा चनपटिया क्षेत्र अन्तर्गत लौरिया मिल को आरक्षित होने वाले दो ग्राम नरकटियागंज को चनपटिया क्षेत्र के आरक्षित होने वाले 5 ग्राम, हरिनगर चीनी मिल को चनपटिया में आरक्षित होने वाले 20 ग्राम, भाट वाला मुक्त क्षेत्र 7 ग्राम, ठकराहाँ अचंल का ग्राम हरिपुर, भितहाँ अंचल का ग्राम पकड़ी, हरिनगर को बगहा अंचल के आरक्षित 7 ग्राम तथा भितहाँ एवं ठकराहॉ के हरिनगर मिल को आरक्षित 23 ग्राम, योगापट्टी में लौरिया मिल को आरक्षित रहे 7 ग्राम एवं बगहा अन्तर्गत लौरिया को आरक्षित रहे ग्राम नयागॉव कुल 84 ग्रामों जिनका विवरण उन्होंने अपने आरक्षण प्रस्ताव में दिया है, को उनके मिल के पक्ष में आरक्षित करने का अनुरोध किया गया।

सुनवाई में उपस्थित मेसर्स हरिनगर सुगर मिल के प्रबंधक श्री अशोक शुक्ला द्वारा बताया गया कि उनके चीनी मिल की पेराई क्षमता 10,000 TCD की है। उनके द्वारा भी मिल की पेराई क्षमता को 12500 TCD तक विस्तारित करने की कार्रवाई की जा रही है। उनके मिल का NCR 157.30 लाख क्विंटल है तथा उनके क्षेत्र में मात्र 1,29,646.42 एकड़ में गन्ने की खेती हुई है। उन्होंने बताया कि भाट एवं चनपटिया क्षेत्र के 56 अपराम्परागत् ग्राम उनके मिल के साथ लगभग 15–17 वर्षो से आरक्षित होते आ रहे हैं। उन ग्रामों में उनके द्वारा सघन ईख विकास कार्यक्रम चलाया गया तथा उन ग्रामों के कृषकों को उनके मिल द्वारा ऋण भी उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने गत् आरक्षित सभी ग्रामों को उनके मिल के साथ ही आरक्षित रखने हेतु अनुरोध किया।

बैठक में उपस्थित मेसर्स न्यू स्वदेशी सुगर मिल्स, नरकटियागंज को कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा भी चनपटिया अंचल में बगहा के पाँच ग्रामों के आरक्षण का विरोध करते हुए उन ग्रामों को उन पक्ष में आरक्षित करने का अनुरोध किया गया। बैठक में उपस्थित लौरिया चीनी मिल के प्रबंधन द्वारा भी उनके मिल को आरक्षित होने वाले योगापट्टी एवं बगहा अचंल के ग्रामों के आरक्षण के प्रस्ताव का विरोध किया गया।

बैठक में पश्चिम चम्पारण जिले के मिल प्रतिनिधियों द्वारा पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत अपराम्परागत् रूप से ग्रामों के आगे के वर्षो के लिए आरक्षण की आवश्यकता की समीक्षा हेतु अनुरोध किया गया। अब तक बंद चीनी मिलों के क्षेत्र को अपराम्परागत रूप में तीन वर्षो के लिए आरक्षित किये जाते रहे हैं। Sugarcane control order के clause 6 A के प्रावधान के अनुसार 15 कि० मी० की परिधि के अन्दर कोई नई चीनी मिल नहीं लग सकती है। पश्चिम चम्पारण जिले की सभी चीनी मिलों ने अपने पेराई क्षमता का विस्तार किया है एवं आगे भी कर रही है। उपरोक्त के आलोक में एवं जिले में उपलब्ध खेती योग्य भूमि के दृष्टिगत् जिले में किसी अन्य नई चीनी मिल की स्थापना या बंद चीनी मिल के पुनर्जीवन की संभावना नहीं दिखती है। ऐसी स्थिति में आगे के वर्षो के लिए अपराम्परागत् रूप से इस जिले के ग्राम को आरक्षित करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। ऐसे ग्रामों को जिले की कार्यरत चीनी मिलों के साथ ईख अधिनियम की धारा 31 (1) के प्रावधानों के आलोक में परम्परागत् रूप से आरक्षित कर देना ही श्रेयस्कर प्रतीत होता है।

इस सुनवाई के पूर्व दिनांक 13.09.2017 को संबंधित क्षेत्र के गन्ना कृषकों की सुनाई हुई थी। सुनवाई के दौरान उनके द्वारा अभिव्यक्त की गई भावनाओं सहित सभी किसानों, उनके प्रतिनिधियों, जनपतिनिधियों से प्राप्त अभ्यावेदनों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया। सुनवाई के क्रम में नौतन एवं योगापट्टी अंचल के पटजिरवा, सुरजपुर, मसानढ़ाब, मंगलपुर एवं सिसवनिया ग्राम के किसानों द्वारा व्यक्तिगत रूप में साक्षात्कार कर उनके गन्ने के निष्पादन की समुचित व्यवस्था कराने की माँग की गयी थी। उनके द्वारा बताया गया था कि उन्हें दूसरे जिले की चीनी मिलों में अपना गन्ना बेचने जाना पड़ता है।

संयुक्त क्षेत्रीय विकास परिषद्, पश्चिम चम्पारण द्वारा किये गये अनुशंसा का भी अवलोकन किया गया। परिषद् द्वारा हरिनगर मिल को बगहा अंचल में आरक्षित सात ग्रामों को बगहा चीनी मिल के साथ आरक्षित करने तथा 7 ग्रामों को मुक्त रखने की अनुशंसा की गई है। नक्शे पर समीक्षा के क्रम में यह स्पष्ट हुआ की सात मुक्त ग्राम बगहा मिल के निकट है जिससे सुनवाई के क्रम में जिले की सभी मिल प्रतिनिधियों द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

सुनवाई के क्रम में मुख्य रूप से यह परिलक्षित हुआ कि बगहा चीनी मिल जो निरंतर अपने क्षमता को समयवद्ध रूप में विस्तार कर रही है, को खेती योग्य भूमि का अभाव है जिस कारण इस मिल को पेराई हेतु आवश्यक गन्ने की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पा रही है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में संबंधित सभी पक्षों को सुनने के पश्चात् सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स तिरूपति सुगर्स लि०, बगहा, प० चम्पारण के पक्ष में पेराई सत्र 2017–18 से 2021–22 (पाँच वर्षो) के लिए राज्य के पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत 24 ग्रामों को जिसका विवरण संलग्न अनुसूची–**''क''** एवं **''ख''** में अंकित है, को परम्परागत् रूप से आरक्षित किया जाता है।

आदेश से,
जितेन्द्र कुमार सिंह,
ईखायुक्त, बिहार।

पेराई सत्र 2017–18 से 2021–22 तक के लिए तिरूपति सुगर्स मिल्स लि०, बगहा, प० चम्पारण को परम्परागत रूप में आरक्षित 24 ग्रामों की सूचीः–

अनुसूची–''क''

जिला का नाम	प्रखण्ड	क्रमांक	ग्राम का नाम	राजस्व थाना संख्या
प० चम्पारण	**बगहा**	01.	चंद्रहा	390
		02.	टोला पूर्वारी	391
		03.	बथुवरिया	392
		04.	टोला भंगहा	393
		05.	गुरवलिया	394
		06.	जमुनिया	396
		07.	टोला गर्भशाही	397
	भितहॉ	08.	के० बसौली	299
		09.	के॰ मानपुर	395
		10.	कन्हैयापुर	406
		11.	प्रेमही	408
	मधुबनी	12.	कुड़िया	296
		13.	कोल्हुआ	297
		14.	मठिया	298

अनुसूची–''ख''

जिला का नाम	प्रखण्ड	क्रमांक	ग्राम का नाम	राजस्व थाना संख्या
प० चम्पारण	**बैरिया**	01.	पटजिरवा	107
		02.	सुरजपुर	108
		03.	मसानढ़ाब	109
		04.	निमुईया	121
	योगापट्टी	05.	गजना	362
		06.	वैसिया खाप	363
		07.	वैसिया	364
	ठकराहा	08.	हरिपुर	429
		09.	खैरखुट्टा	430
		10.	श्रीनगर	434

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 931-571+50-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in